न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –536/2018
GCMS No. –2022/596

1. मैसर्स जे.के. सीमेन्ट वर्क्स प्रोपाराईटर जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड कमला टावर कानपुर बजरिये पावर एटोर्नी होल्डर सुशील कुमार पिता लक्ष्मणसिंह जी राठौड उम्र–57 साल युनिट हेड जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेडा तह. निम्बाहेडा।

–वादी

1. भैरूलाल पिता कन्नीराम कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

2. रमेशचन्द्र पिता भैरूलाल कुम्हार निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 183, 188 राज0का0अधि0

उपस्थितः– 1– श्री अनुराग औझा – अधिवक्ता वादीगण
2– प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही

:: निर्णय :: दिनांक :– 26.12.23

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगणों ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 रा0का0अधि0 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके मौजा मांगरोल तहसील निम्बाहेडा आराजी नम्बर 2800 रकबा 0.6800 हक्टेयर जो वादी के नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित है। प्रतिवादी की आराजियात वादी की आराजीयात के दक्षिण में है जो आराजी नम्बर 2818 है जिस पर प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी अपनी आराजीयात के उत्तरी तरफ पिछले दो–तीन साल से धिरे धिरे आगे बढते हूए वादी की भुमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा हो रहा है इस पर वादी ने प्रतिवादी को रोका और विवाद हुआ इसी विवाद के निराकरण के लिए वादी ने एक पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा में मैसर्स जे.के. सिमेंन्ट वर्क्स बनाम रूपचन्द्र वगैरा करवायी जिसका नम्बर 16/17 जिसका पर्चा मौका दिनांक 18.05.2018 को बनाया इस पर्चे मौके के अनुसार वादी की आराजी नम्बर 2800 का रकबा 0.066 है0 के दक्षिणी भाग पर प्रतिवादी का कब्जा है। प्रतिवादी ने वादी की आराजीयात के दक्षिणी भाग पर पिछले 2–3 साल में धिरे धिरे आगे उत्तर की तरफ बढकर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है जो पथरगढी से वादी की भुमि पर प्रतिवादी का होना स्पष्ट हुआ है इस पर वादी अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से उक्त भुमि 2800 के दक्षिणी भाग के रकबा 0.066 है0 पर अवैध कब्जा हटाने प्रतिवादीगणो को कहा परन्तु वह नहीं माने तथा समझाने बुझाने पर भी नहीं माने। इसलिए मजबूरन वादी ने यह दावा कब्जेयाबी जमीन का प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, बावजुद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादीगण अनुस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

3. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नक्शा ट्रेस पेश किया जो प्रदर्श–1 है, नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल की खाता संख्या 944 पेश की जो प्रदर्श–2, भू–अभिलेख निरिक्षक मांगरोल का पर्चा मौका पेश किया जो कि प्रदर्श– 3 व प्रदर्श 4 है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल की खाता संख्या 493 पेश की जो प्रदर्श–5 है, नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल की खाता संख्या 944 पेश की जो प्रदर्श–6 है।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षिय सुनी गई।

5. वभिन्न न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया जो कि निम्नानुसार हैः–

i. 1. कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली (1) इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या ले रखा है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के बाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखली करने के हकदार है, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिये जुर्माने के तौर पर ऐसी रकम चुकाने का भी भागी होगा जो सालान लगान के पन्द्रह गुने तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है, तहसीलदार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राज. एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसरण में कार्यवाही करेगा।

न्यायालय सहायक कलक्टर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

ii. जो व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि पर काबिज रहता है यह अतिक्रमी, है। माधो बनाम कल्याण 1960 आर.आर.डी. 89, 1960 आर.आर.डी. 141

iii. वादी का वाद इस धारा के अन्तर्गत सफल हो सके उसे यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि प्रतिवादी अतिक्रमी है। शांतिलाल बनाम मोहनलाल 1968 आर. आर. डी. 267, 1970 आर.आर.डी. 179

iv. इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का वाद किया जाता है। 1965 आर.आर.डी. 133, शेरसिंह बनाम उम्मेदसिंह 1966 आर.आर.डी. 236, 1963 आर.आर.डी. 188, 1974 आर.आर. डी. 281, 1974 आर.आर.डी. 492

v. एक बार वादी यदि यह सिद्ध कर देता है कि वह खातेदार है तो सारा भार प्रतिवादी पर जाता है कि वह कब्जा कैसे बनाये रखेगा। कालू बनाम मु. नवली 1979 आर.आर.डी. 02

सहायक कलक्टर

vi. जहाँ एक बार वादी द्वारा अपना हक साबित कर दिया जाता है एवं प्रतिवादी यह साबित करने मे असफल रहता है कि उसने विवाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा किस आधार पर किया वहां प्रतिवादी अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। जबरसिंह बनाम श्रीमती दुर्गा 1984 आर.आर.डी. 529

vii. प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, अविक्रमी खातेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। लालसिंह बनाम मांगीलाल 1985 आर. आर.डी. 638

viii. वादी को अपना हक साबित करना चाहिये, तथा प्रतिवादी को यह साबित करना जरूरी होता है कि उसका लगातार आबाद रूप से कब्जा है अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी तरह का कोई हक प्राप्त नहीं होता है और उसके आधार पर किसी प्रकार कब्जा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। छोटू बनाम श्रीमती कस्तूरी 1987 आर.आर.डी. 466

ix. जब कोई व्यक्ति विवादित भूमि पर यह नहीं दिखा पाता है कि वह उस पर किस हैसियत से काबिज है या कृषि कर रहा है तो वह अतिक्रमी माना जायेगा। अतिक्रमी काश्तकार के पक्ष में किये गये किसी आदेश को चैलेन्ज नहीं कर सकता। काजी लतीफ बनाम खेमा 1988 आर.आर. डी. 214

x. अतिक्रमी के विरुद्ध दावा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है। (गंगाराम बनाम चावन्दा, 1992 आर.आर.डी. 73)

6. अधिवक्ता वादी की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, प्रदर्श–2 जमाबंदी जिसमें वादीगण बतौर खातेदार दर्ज है जिसकी पत्थरगढी वादीगणों द्वारा इसी न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/2017 को कराई, जिसमें मौतबिरान की उपस्थिति में भू–अभिलेख निरिक्षक मांगरोल द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति की पत्थरगढ़ी की गई, उक्त पर्चे मौके मे भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि आराजी नम्बर 2800 रकबा 0.066 हैक्टेयर भूमि के दक्षिणी भाग पर भेरूलाल पिता कनीराम प्रजापत निवासी मांगरोल का कब्जा पाया गया जिससे वादीगण अपने वाद को साबित करने मे पूर्णतयां सफल हुए है जिस कारण वाद वादीगण का डिक्री किया जाता है एवं वादीगणों को प्रतिवादीगण कमांक 1 व 2 द्वारा अवैध आधिपत्य किये भू–भाग को पुनः वादीगणों को सुपूर्द करने का आदेश प्रतिवादी कमांक 1, व 2 को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि वाके मौजा मांगरोल तहसील निम्बाहेडा आराजी नम्बर 2800 रकबा 0.6800 है0 भूमि के दक्षिणी भाग के रकबा 0.066 हैक्टेयर भूमि पर जो अवैध आधिपत्य प्रतिवादीगण का है, को हटाकर उक्त आधिपत्य पुनः वादीगण को प्रतिवादी कमांक 3 तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा सुपूर्द किया जाये साथ ही प्रतिवादी कमांक 1 व 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगणों की खातेदारी की आराजी नम्बर 2800 मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें उसके किसी भी भू–भाग पर पुनः कोई

सहायक कलक्टर

कब्जा नहीं करें, मौके पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करें, शांतिपूर्ण तरीके से वादीगणों को काबिज काश्त रहने दें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिकी पर्चा पृथक से बनाया गया

8. निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)